MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2006

G.S.R. 661(E).—In exercise of the powers conferred by clause (gii) of sub-section (1) of section 63 read with sub-section (4) of section 38M of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules regulating the salaries, allowances and other conditions of appointment of the Chairperson, the Vice-Chairperson, Member and Member-Secretary of the National Tiger Conservation Authority, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the National Tiger Conservation Authority (Salaries, Allowances and other Conditions of Appointment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.– In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) "Act" means the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);
(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Tiger Conservation Authority;
(c) "Fund" means the Tiger Conservation Authority Fund constituted under sub-section (2) of section 38Q;
(d) "member" means a member of the Tiger Conservation Authority;
(e) "Member-Secretary" means the Member-Secretary of the Tiger Conservation Authority;
(f) "section" means section of the Act;
(g) "Tiger Conservation Authority" means the National Tiger Conservation Authority constituted under section 38L;
(h) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson of the Tiger Conservation Authority.

IndiaCode

3. Travelling and other allowances to the Chairperson, Vice-Chairperson and members.– (1) The Chairperson, Vice-Chairperson and members shall be entitled to travelling allowances and daily allowances in respect of journeys performed by them in connection with the work of the Tiger Conservation Authority at the rates as are admissible to a Union Minister, Union Ministers of State and a Secretary to the Government of India respectively.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Chairperson or any other member, who is a Member of Parliament, shall not be entitled to any remuneration other than the allowances, defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or as the case may be, other than the allowances, if any, receive without incurring such disqualification.

4. Appointment of Member-Secretary on re-constitution of the Tiger Conservation Authority.– (1) The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint a Member-Secretary of the Tiger Conservation Authority on its re-constitution, who shall exercise such powers and perform such duties as are assigned to him under the Act and those assigned by the Authority.

(2) A person to be appointed as Member-Secretary shall be an Inspector General of Forests or an Officer of equivalent rank in the Indian Forest Service, having at least ten years experience in a tiger reserve or wildlife management.

5. Terms and other conditions of service of Member-Secretary.– The Member-Secretary of the Tiger Conservation Authority, subject to the provisions contained in the proviso to sub-section (1) of section 38N of the Act, shall be entitled to the salary in the pay scale of rupees 18400-500-22400/- and shall also be entitled to such allowances, leave, provident fund, pension and other retirement benefits, official accommodation and medical facilities as are for the time being admissible to the officers of the Central Government belonging to Group 'A' of the corresponding scale of pay.

[F. No. 6(4)/2005-PT]

Dr. RAJESH GOPAL, Inspector General of Forests & Member-Secy.
(National Tiger Conservation Authority)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 662(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (छझ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 38ठ की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के विशेषज्ञों और वृत्तिक सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव विनिर्दिष्ट करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (विशेषज्ञों या वृत्तिक सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव) नियम, 2006 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, -

(क) "अधिनियम" से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अभिप्रेत है ;

(ख) "विशेषज्ञ या वृत्तिक सदस्य" से अधिनियम की धारा 38ठ की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन नियुक्ति व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(ग) "व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 38ठ के अधीन गठित राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

3. विशेषज्ञ या वृत्तिक सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव,--

(1) कोई व्यक्ति, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का विशेषज्ञ या वृत्तिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने का तभी पात्र होगा, यदि वह निम्नलिखित अर्हताएं रखता हो--

(क) (i) उसने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला या विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य में पांच वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा किया हो ;

(ii) उसके पास किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी अथवा स्थापत्यकला में स्नातकस्तर की उपाधि हो ; या

(iii) उसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि या समतुल्य हो ; या

(iv) वह चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या लागत तथा संकर्म लेखाकार संस्थान या कंपनी सचिव संस्थान या अथवा बीमांकक संस्थान का अध्येता हो ; या

(v) उसके पास विश्वविद्यालय की कोई डिग्री है और उसने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त किसी अकादमी में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो ; और

(ख) उसके पास वन्य संरक्षण और व्याघ्र आरक्षिति में निवास कर रहे व्यक्तियों के कल्याण का पन्द्रह वर्ष का अनुभव हो ; संबंधित विधा में दस वर्ष के सुसंगत अनुभव के साथ डाक्टर की उपाधि हो ।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति पर, जो अधिमानतः सत्तर वर्ष से कम आयु का है, विशेषज्ञ या वृत्तिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा ।

(3) विशेषज्ञ या वृत्तिक सदस्यों की पात्रता का अवधारण, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण में चयन के लिए उनके प्रवर्ग और पात्रता का मूल्यांकन इन नियमों से उपाबद्ध सारणी और परिशिष्ट के अनुसार किया जाएगा ।

4. विशेषज्ञ या वृत्तिक (गैर सरकारी सदस्य) के रूप में सेवा की शर्तें :-

IndiaCode

गैर सरकारी सदस्यों की दशा में व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण में विशेषज्ञ या वृत्तिक सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :

(i) व्यष्टिक हैसियत में सेवा करने वाले गैर सरकारी सदस्य, अपने संस्थागत या संगठनात्मक संबंधन को विचार में लाए बिना व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण में केवल वृत्तिक या विशेषज्ञ सदस्य के रूप में सेवा कर सकेंगे ;

(ii) अन्य सभी शर्त (iii) और शर्त (iv) में वर्णित संस्थानों या संगठनों के प्रतिनिधियों के रूप में सेवा करेंगे ;

(iii) ऐसे वृत्तिकों वाला कोई स्वैच्छिक संगठन, जो विशिष्ट रूप से अलाभ के आधार पर पहले से, सतत विकास संबंधी विषयों पर समुदाय, अन्य संगठनों या सरकारी अभिकरणों को विभिन्न सेवाएं, जिसके अंतर्गत अनुसंधान भी है, प्रदान करने में लगा हुआ है ।

(iv) किसी ऐसे स्वैच्छिक संगठन से, जो पहले से संबंधित क्षेत्र में सतत विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगा हुआ है, कुछ वृत्तिक संबंधी कार्यों की अपेक्षा की जा सकेगी या अपेक्षा नहीं की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण-- इन नियमों के प्रयोजन के लिए "गैर सरकारी" एक ऐसा व्यक्ति है जो वर्तमान में किसी भी स्तर पर (केन्द्रीय, राज्य या स्थानीय स्तर) किसी सरकारी पद का, चाहे वह सिविल या न्यायिक सेवा में हों अथवा किसी पद के लिए निर्वाचित हो, (विश्वविद्यालयों या स्वायत्त संस्थाओं में संकाय पद धारण करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) धारक नहीं है ।

5. विशेषज्ञ या वृत्तिक सदस्य की पदावधि- कोई विशेषज्ञ या वृत्तिक सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और उसकी पदावधि व्याघ्र संरक्षम प्राधिकरण की अवधि तक सह-विस्तारी होगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु कोई भी सदस्य उस रूप में लगातार दो अवधियों से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा ।

6. वित्तीय या अन्य हितों की घोषणा-- प्रत्येक व्यक्ति, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के विसेषज्ञ या वृत्तिक सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति पर इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप I में यह घोषणा करेगा कि उसका ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे प्राधिकरण के सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

7. किसी सदस्य को प्राधिकरण से अस्थायी रूप से विवर्जित करना या उसे हटाना--यदि व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का कोई गैर सरकारी सदस्य अधिवेश में बाधाएं डालता है या सार्वजनिक कथनों अथवा ऐसी अन्य कार्रवाईयों द्वारा प्राधिकरण के अधिवेशनों को विफल करने या उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा डालने का प्रयास करता है उसे प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण के अधिवेशनों में हाजिर होने से विवर्जित कर दिया जाएगा और बार-बार ऐसा व्यवहार किए जाने की दशा में वह प्राधिकरण के सदस्य के पद से हटाए जाने का दायी होगा :

परंतु सदस्य के रूप में ऐसे हटाए जाने के पूर्व उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

[फा. सं. 6(4)/2005-पीटी]

डा. राजेश गोपाल, वन महानिरीक्षक और सदस्य-सचिव
(राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण)

प्ररूप - I
(नियम 6 देखें)

कोई प्रतिकूल वित्तीय या अन्य हित के अर्जन के विरुद्ध घोषणा

मैं,....., राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि मेरा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है और ऐसा कोई हित प्राप्त करने की दशा में, जिससे राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मेरे कार्य करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, मैं ऐसे हित के अर्जन के बारे में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को सूचित करूंगा ।

स्थान :

तारीख :

(सदस्य का नाम)
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

IndiaCode

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (रा.व्या.सं.प्रा.) के गैर-सरकारी, विशेषज्ञ या वृत्तिकों की नियुक्ति के लिए कार्यवाही शीट

1. चालू अवधि के अवसान की तारीख :

2. प्राधिकरण की अवधि : तीन वर्ष

3. अधिसूचित संरचना, पदेन और शासकीय सदस्यों को छोड़कर :

आठ विशेषज्ञ या वृत्तिक जिनके पास वन्यजीव संरक्षण और व्याघ्र आरक्षिति में निवास कर रहे व्यक्तियों के कल्याण में विहित अर्हताएं और अनुभव है जिनमें से कम से कम दो व्यक्ति जनजातीय विकास क्षेत्र से होंगे ।

IndiaCode

सारणी 1 : राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (पदेन और शासकीय सदस्यों को छोड़कर) की अधिसूचित संरचना

संरचना निकाय का प्रकार (विनिश्चय करना)	विशेषज्ञों /वृत्तिकों की संख्या		लोक प्रतिनिधि	वृत्तिक स्वैच्छिक संगठन	क्षेत्रीय स्वैच्छिक संगउन
	क्षेत्र	संख्या			

सारणी 2 : "वृत्तिक"/ "विशेषज्ञ के रूप में पात्रता का अवधारण"

नाम	क्षेत्र, जिसके लिए विचार किया गया है ।		क्षेत्र में की उच्चतम अर्हताएं		उस क्षेत्र में का अनुभव, जिसके लिए विचार किया गया है	क्या वह "वृत्तिक" का मानदंड पूरा करती है/करता है । (क्षेत्र में के आधारभूत विहित अर्हता)	क्या वह "विशेषज्ञ" का मानदंड पूरा करती है/ करता है ? (अर्थात् आधारभूत विहित अर्हता +उस क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव या उच्चतर अर्हता+ उस क्षेत्र में 10 वर्ष)
	प्राथमिक दक्षता (संलग्न उपाबंध देखिए)	गौण दक्षता (संलग्न उपाबंध देखिए)	डिग्री या विहित अर्हता (अर्थात् इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का डिप्लोमा)	विश्वविद्यालय या वृत्तिक निकाय अर्थात् इंजीनियरी संस्थान			

सारणी 3 : गैरसरकारी प्रवर्ग का अवधारण

नाम	किस हैसियत में सेवा कर रहा है ?		क्या वृत्तिक/ विशेषज्ञ का मानदंड पूरा कर करता है ? (हां/नहीं)	क्या लोक प्रतिनिधि के मानदंड पूरा कर करता है ? (हां/नहीं)	क्या "वृत्तिक स्वैच्छिक संगठन का मानदंड पूरा कर करता है ? (हां/नहीं)	क्या " क्षेत्रीय स्वैच्छिक संगठन का मापदंड करता है ? (हां/नहीं)
	व्यष्टिक	किसी संस्था/ संगठन का प्रतिनिधित्व				

IndiaCode

सारणी 4 : निकाय में सेवा करने की पात्रता की पुष्टि :

नाम	प्रवर्ग (अर्थात् वृत्तिक/ विशेषज्ञ, लोक प्रतिनिधि दैनिक क्षेत्रीय स्वैच्छिक संगठन, क्षेत्र वृत्तिक स्वैच्छिक संगठन)	में पात्रता, आयु के संबंध (हां/नहीं)		विश्राम अवधि के संबंध में पात्रता	परस्पर विरोधी हितों के संबंध में पात्रता (हां/नहीं)	सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से असंसक्तता के संबंध में पात्रता (हां/नहीं) : यदि नहीं तो उदाहरण	पात्र है या नहीं ? (पात्रता के सभी मानदंड पूरे होने चाहिए अर्थात् "हां" प्रत्येक दशा में)
		आयु	क्या 70 वर्ष से-है ?				

सारणी 5 : गैर सरकारी अभ्यर्थियों की संक्षिप्त सूची : विनिश्चयकर्ता निकाय

संरचना / निकाय का प्रकार	विशेषज्ञ/ वृत्तिक		लोक प्रतिनिधि का नाम (के नाम)	वृत्तिक स्वैच्छिक संगठन का नाम (के नाम)	क्षेत्रीय स्वैच्छिक संगठन का नाम (के नाम)
विनिश्चयकर्ता निकाय	क्षेत्र	नाम			

IndiaCode

परिशिष्ट

अनुज्ञेय प्राथमिक और गौण कुशलता के संयोजनों की मेट्रिक्स

प्राथमिक कुशलता	वन्य जीव प्रबंध	प्राणी विज्ञान	वनस्पति विज्ञान	पारिस्थितिकी विज्ञान	अनुप्रयुक्तिकी	पशुपालन	पशु चिकित्सा	कृषि विज्ञान	मानव शास्त्र	समाज शास्त्र	पर्यावरण विज्ञान	अर्थ शास्त्र	भू विज्ञान	मानव पारिस्थितिकी विज्ञान	जैव रसायन	जैव प्रौद्योगिकी	वन विज्ञान	भिषि	सूचना प्रौद्योगिकी (कंप्यूटर अनुप्रयोग / जीआईएस / आरएस	शिव विज्ञान	इंजीनियरी	सांख्यिकी	इतिहास
गौण कुशलता																							
मानवीट आदान (ग्राम स्तरीय पारिस्थितिक विकास)	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां
पर्यटन एवं उद्धार	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	नहीं
पशु संसाधन प्रबंध	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं

जैव विविधता/ वन्यजीव पारिस्थितिक / प्रबंध/ संरक्षण	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
वन प्रबंध	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	नहीं
मानव वन्यजीव संघर्ष	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां
अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	नहीं
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
भूदृश्य आयोजना	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	नहीं
जीपी	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां
पशु रोग प्रबंधन	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	हां	नहीं
डाटलेड प्रबंधन	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
एनटीएफपी	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	नहीं
इमारती लकड़ी उत्पाद	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	नहीं
आद्र भूमि प्रबंध	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	नहीं
पर्वतवर्गीय इतिहास	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां
पर्वतवर्गीय इतिहास	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
कृषि ऋण प्रबंध	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां
पारि-पर्यटन	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं
प्रकृति व्याख्या और विस्तार	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं
प्रदूषण नियंत्रण	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
खनिज अन्वेषण	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
वन्यजीव अनुसंधान	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां
मृदा संरक्षण	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां

IndiaCode